रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 1975/ज्येष्ठ 10, 1897

No. 140] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 1975/JYAISTHA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 31st May 1975

G.S.R. 311(E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cellulose tri-acetate, falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, *1944* (1 of *1944*) when intended for use in the manufacture of cine-films, X-ray films or photographic films, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such cellulose tri-acetate is so used; and

(ii) where such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[No. 151/75]

N. RAJA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 31 मई, 1975

सा० का० नि० 311 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले सेल्यूलोज ट्राई-एसीटेट को, जब उसका सिने-फिल्मों, एक्से रे फिल्मों या फोटो चित्रण-फिल्मों के विनिर्माण उपयोग किया जाना आशयित हो, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब तक कि,—

(i) सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान प्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि ऐसे सेल्यूलोज ट्राई-ऐसीटेट का इस प्रकार उपयोग किया गया है, और

(ii) जहां ऐसा उपयोग उत्पादन कारखाने से भिन्न किसी स्थान में, हो, जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया अपनाई जाती है।

[सं० 151/5]

एन० राजा, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975